आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 312/इंदौर/2020

भारत कॉमर्स विद्यालय प्रबंध समिति, नागदा	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएसीएबी 7122 एम		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित आवेदन
राजस्व की ओर से	कोई नहीं
सुनवाई तिथि	30.08.2022
उद्घोषणा तिथि	31.08.2022

आदेश

श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी)(vi) के अधीन आदेश दिनांक 14.08.2020 के विरूद्ध निदेशित है । इस अपील के संबंध में निर्धारिती की ओर से लिखित आवेदन दाखिल किया गया है जबकि विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः इस अपील पर निर्धारिती के लिखित निवेदन तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कार्रवाई की गई ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा आवेदन दिनांक 29.08.2022 दाखिल किया गया हैं जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन)

भोपाल के समक्ष निर्धारण वर्ष 2020-21 से धारा 10(23सी)(vi) के अधीन छूट प्रदान करने हेतु 25.02.2020 को आवेदन दाखिल किया था जिसे आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्‌वारा आदेश दिनांक 14.08.2020 के द्‌वारा अस्वीकृत किया गया था । अतः निर्धारिती द्‌वारा आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के आदेश दिनांक 14.08.2020 के विरूद्‌ध वर्तमान अपील की गई थी । निर्धारिती ने वर्तमान अपील के साथ-साथ विद्‌वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष 29.09.2020 को धारा 10(23सी)(vi) के अधीन छूट प्रदान करने हेतु दूसरा आवेदन भी दाखिल किया गया था । निर्धारिती के इस दूसरे आवेदन को विद्‌वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) द्‌वारा स्वीकार करके निर्धारिती को धारा 10(23सी)(vi) के अधीन अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । इन तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में वर्तमान अपील की कोई प्रासंगिकता नहीं है । अतः निर्धारिती द्‌वारा वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । विद्‌वान विभागीय प्रतिनिधि निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 31.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्‌घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सिद्‌धार्थ नौटियाल)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 31.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल